न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 27/2017

सायर पुत्र स्व0 करीमा जाति मेहरात निवासी ग्राम रतनपुरा सरदारा फतेहपुरिया दोयम, तहसील ब्यावर जिला अजमेर। .....**अपीलान्ट**

बनाम

1. श्री दाउ पुत्र स्व0 करीमा जाति मेहरात निवासी ग्राम रतनपुरा सरदारा फतेहपुरिया दोयम, तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, ब्यावर(अजमेर) ....**रेस्पोडेन्ट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी	अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री महेन्द्र सिंह चौहान	अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. श्री शुभकरण सिंह चौधरी	राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 27.06.2018

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रतनपुरा सरदारा तहसील ब्यावर के खसरा नं0 813,822,844/1230, 845/1, 846, 847, 848 कुल किता 7 कुल रकबा 06–09–10 बीघा के सायर दाउ पि0 करीमा कौम मैरात सा0 देह खातेदार दर्ज थे। प्रश्नगत भूमि बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष वास्ते बॅटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जिसमें बंटवारें की प्राथमिक डिक्री पारित की गई, जिसमें अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंन्ट सं0 01 का 1/2 –1/2 हिस्सा माना गया, तत्पश्चात गलत रूप से पारित अंतिम डिक्री दिनांक 6.6.2017 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर के अपील प्रस्तुत की गई जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री के कियान्वयन स्थगित करने के आदेश पारित किये गये। जिनकी सूचना उसी दिन तहसीलदार एवं पटवारी को दिये जाने के बावजूद तहसीलदार एवं पटवारी द्वारा विपक्षी से मिलीभगती कर आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 528 दिनांक 5.9.2017 तस्दीक कर दिया गया। जिससे से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 जरिये अभिभाषक उपस्थित आयें। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। उन्होने कहा कि ग्राम रतनपुरा सरदारा तहसील ब्यावर जिला अजमेर के खसरा नं0 813, 822, 844/1230, 845/1, 846, 847, 848 कुल किता 7 कुल रकबा 06–09–10 बीघा के सायर दाउ पि0 करीमा कौम मैरात सा0 देह खातेदार दर्ज थे। प्रश्नगत भूमि बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष वास्ते बॅटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जिसमें बंटवारें की प्राथमिक डिक्री पारित की गई, जिसमें अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0 01 का 1/2 –1/2 हिस्सा माना गया, तत्पश्चात गलत रूप से अंतिम डिक्री दिनांक 6.6.2017 को पारित की गई। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर के अपील प्रस्तुत की गई

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री के कियान्वयन स्थगित करने के आदेश पारित किये गये। पारित स्थगन आदेश की सूचना उसी दिन तहसीलदार एवं पटवारी को दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा विपक्षी से मिलीभगती कर दिनांक 5.9.2017 को आक्षेपित नामान्तरकरण सं0 528 तस्दीक कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को समस्त तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद जानबूझ कर अपीलान्ट को बिना कोई नोटिस जारी किये साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये स्थगन आदेश होने के बावजूद एक दिन पूर्व की तारीख अंकित कर आक्षेपित नामान्तरकरण स्वीकृत किया है, जो कानूनन अवैध एवं शून्य होने से निरस्तनीय है। अपनी बहस जारी रखते हुए अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा लेण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत निर्धारित प्रकिया की पालना किये बिना आनन फानन में समस्त कार्यवाही एक ही दिन में कर अविधिक रूप से आक्षेपित नामान्तरकरण तस्दीक किया है जो काबिले निरस्त है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर उक्त आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 528 दिनांक 05.09.2017 एवं उसके आधार पर किये गये समस्त गैर कानूनी इन्द्राजों को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के पक्ष में विधिसम्मत नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश न्यायहित मे प्रदान फरमावें।

जवाब में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 01 ने निवेदन किया कि ग्राम रतनपुरा सरदारा तहसील ब्यावर की विवादित भूमि कुल किता 7 कुल रकबा 06–09–10 बीघा के सायर, दाउ पि0 करीमा कौम मैरात सा0 देह खातेदार दर्ज थे। उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष वास्ते बॅटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। जिसमें बंटवारें की प्राथमिक डिक्री पारित की गई तद्नुसार तहसीलदार द्वारा दोनो पक्षों की मौजूदगी में नियमानुसार बॅटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर अंतिम डिक्री दिनांक 6.6.2017 को पारित की गई। जिसके विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष अपील दिनांक 2.8.2017 को प्रस्तुत की गई जिस पर दिनांक 6.9.2017 को स्थगन आदेश पारित किया गया। जबकि आक्षेपित नामान्तकरण तहसीलदार ब्यावर के आदेश दिनांक 30.8.2017 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 4.9.2017 को भर कर पेश किया तथा दिनांक 5.9.2017 को बाद जांच आईएलआर, तहसीलदार ब्यावर द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण की स्वीकृति दिनांक को किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभाव में नहीं था। आक्षेपित नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित डिक्री की पालना में नियमानुसार स्वीकृत किया गया है। लिहाजा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से इसी स्तर पर मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाई जावें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं रेकार्ड पत्रावली का उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा राजस्व वाद (बॅटवारा) में पारित निर्णय/डिक्री की पालना में खोला गया है। जिसमें किसी प्रकार से कोई कानूनी त्रूटि एवं अवैद्यानिकता जाहिर नहीं है। अपील/बहस में जो कारण बताये है वे सन्तोषजनक एवं औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होते हैं लिहाजा हम अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई हस्तक्षेप करना न्याय संगत नहीं मानते है। अस्तु अपील अपीलान्ट उपरोक्त स्थिति के मध्य नजर अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर,
अजमेर